न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 29/2022
(जीसीएमएस संख्या 2022/76)

निर्णय दिनांकः 24-07-2025

1. असगर पुत्र कोडे खां जाति मुसलमान निवासी केला तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर हाल चक 3 एचडब्ल्यूएम तहसील पूगल जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 07–01–1976 सपठित आदेश दिनांक 05–01–76
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

उपस्थितिः–
1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के आदेश दिनांक 07–01–1976 सपठित आदेश दिनांक 05–01–1976 जिसके द्वारा अपीलांट को 22 बीघा कमाण्ड भूमि का पात्र घोषित किया जाकर आवंटन की गई मगर पूर्व में आवंटित भूमि अकमाण्ड हो जाने से पात्रता अनुसार भूमि प्राप्त नहीं हो सकी है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विकय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पूगल में बतौर सामान्य आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात आंवटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 07—01—1976 को 22 बीघा कमाण्ड भूमि का पात्र घोषित किया गया जिसकी पालना में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 15—01—1976 को प्रार्थी को 22 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया। अपीलांट को उक्त आवंटित भूमि का कब्जा भी दिनांक 22—01—1976 को प्रदान कर दिया गया। जिस पर अपीलांट आदिनांक तक काबिज काश्त है। तत्पश्चात सीएडी सर्वे के अनुसार अपीलांट को आवंटित कमाण्ड भूमि को अनकमाण्ड भूमि घोषित कर दिया गया। अपीलांट को दिनांक 30—07—2008 को जारी खातेदारी सनद भी 22 बीघा अनकमाण्ड भूमि की है। अपीलांट को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा 22 बीघा कमाण्ड भूमि का पात्र घोषित किया था एवं आवंटित भी 22 बीघा कमाण्ड भूमि की गई थी मगर सीएडी सर्वे से उक्त आवंटित भूमि कमाण्ड से अनकमाण्ड कर दी गई। अपीलांट को अपनी पात्रता से आधी भूमि आवंटित की गई है। अपीलांट गरीब काश्तकार है जिसकी आय का स्त्रोत केवल मात्र कृषि भूमि ही है। यदि अपीलांट को उसकी पात्रता से वंचित रख दिया जाता है तो यह उसके हितों के साथ कठुराघाता होगा। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि अपीलाधीन आदेश से आवंटित भूमि को कमाण्ड से अनकमाण्ड किया जाने से अपीलांट को पात्रता अनुसार अन्यत्र भूमि का आवंटन करने की कार्यवाही करे।

इस संबंध में अपीलांट की आवंटित भूमि को कमाण्ड से अनकमाण्ड करने से पूर्व ना तो आवंटी के दस्तावेजों को मंगवाया गया तथा ना ही आवंटी को पात्रता अनुसार अन्यत्र भूमि आवंटन की गई। सीएडी सर्वे में कमाण्ड भूमि को अनकमाण्ड घोषित किया जाना एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया आदेश है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने कथन किया कि किसी भूमि को कमाण्ड अथवा अनकमाण्ड घोषित किया जाना सीएडी प्लान का हिस्सा है जिसमें अपीलाधीन आदेश से किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया गया है। अपीलांट यह बताने में विफल रहे है कि अपीलांट अपीलाधीन भूमि से किस प्रकार व्यथित है। अपीलांट को अपनी पात्रता अनुसार 22 बीघा कमाण्ड भूमि का आदेश पारित किया जा चुका है अब अपीलांट अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है। जहां तक अपीलांट की पात्रता का प्रश्न है, अपीलांट आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अपनी पात्रता अनुसार कमी पूर्ति में भूमि आवंटन करवा सकते है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश से अपीलांट किसी प्रकार से व्यथित नहीं है। अपीलांट को आवंटित भूमि जो कमाण्ड से अनकमाण्ड कर दी गई, अपीलांट सिर्फ अपनी पात्रता अनुसार अन्यत्र भूमि की मांग कर रहे है अपीलांट अपनी भूमि पर काबिज काश्त रहे है एवं उन्हें इस आशय का जैसे ही ज्ञान हुआ अपीलांट ने हस्तगत अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दी है। अपीलांट ने अपनी अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियांद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अपीलांट के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के कथनों पर विश्वास करते हुए अपील

राजस्व अपील अधिकारी,
बीकानेर

प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को दरगुजर किया जाकर अपील अदंर मियांद शुमार की जाती है।

(2) हस्तगत प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, इस संबंध में अपीलांट के आवंटन पत्रावली एवं अपील का अवलोकन किया गया। प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि आवंटन अधिकारी के समक्ष अपीलांट द्वारा भूमि आवंटन किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अपीलांट की पात्रता 22 बीघा कमाण्ड भूमि की निर्धारित की गई जिसके अनुसरण में आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट को दिनांक 15–01–1976 को 22 बीघा भूमि चक 2 एचडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 25/63 में आवंटित कर दी गई। अपीलांट द्वारा भूमि की राशि भी जमा करवा दी गई। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के पक्ष में 22 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन आदेश भी अपीलांट के पक्ष में जारी कर दिया गया एवं आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा भी प्रदान किया जा चुका है एवं अपीलांट को आवंटित भूमि की खातेदारी सनद भी जारी की जा चुकी है। अपीलांट ने अपील के साथ प्रस्तुत कार्यालय अधिशासी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड खाजूवाला के पत्र कमांक तकनीकी/तस्दीक/3984 दिनांक 14–03–2024 प्रस्तुत किया गया है। उक्त पत्र के अनुसार अपीलांट को आवंटित भूमि को अनकमाण्ड दर्शाया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी के अवलोकन से भी अपीलाधीन आराजी का अनकमाण्ड होना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में यह प्रकट होता है कि अपीलांट 22 बीघा कमाण्ड भूमि का पात्र था परन्तु उसे आवंटित भूमि वर्तमान में 22 बीघा अनकमाण्ड भूमि है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है प्रकरण उपखण्ड अधिकारी पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि यदि अपीलांट को उसकी घोषित पात्रता के अनुसार भूमि आवंटित नही हुई है तो आज के दिनांक की की पात्रता की जांच करते हुए अपीलांट को पात्रता अनुसार आवंटित भूमि की गणना की जाकर सुनवाई एवं सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए व सबूतों की जॉच करते हुए नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक २५-०७-२५ को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर